बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 154886 ग्रा० वि० 7(क्षो) -33/2013 पटना, दिनांक 09/07/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि पर कार्यों के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा मार्गदर्शिका में व्यापक पैमाने पर निजी भूमि पर कार्य कराने का प्रावधान किया गया है ।

2. विभाग के स्तर से योजनाओं के चयन के क्रम में आयोजित ग्राम सभा के अवसर पर अनुमान्य योजनाओं के संबंध में सामान्य जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी, जिसका उद्धरण इस पत्र के साथ संलग्न है ।

3. आपसे अनुरोध है कि इस संलग्न सूचना को प्रखंड कार्यालय और सभी पंचायत कार्यालयों में एक-एक प्रमुख स्थान पर दीवार लेखन अनिवार्य रूप से एक महीने के अंदर कराया जाय ।

4. यह भी अनुरोध है कि इसकी पर्याप्त पैम्पलेट तैयार करके जिला / प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय-समय पर बाँटी जाय ।

5. मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं का चयन ग्राम सभा में होता है एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप कार्य होता है । ऐसा संभव है कि निजी भूमि पर कार्य कराने के इच्छुक अभ्यर्थी ग्राम सभा के दौरान अपना आवेदन नहीं दे पाये हों, वैसी परिस्थिति में उन इच्छुक अभ्यर्थियों के जमीन में कार्य सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है ।

इस हेतु यह परामर्श दिया जाता है कि कार्यक्रम पदाधिकारियों के कार्यालय में निजी भूमि पर काम कराने के इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र अनवरत तरीके से प्राप्त किए जाय । ऐसे आवेदन पत्रों की एक निरंतर सूची कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बनायी जाती रहेगी । आवेदकों को आवेदन पत्र समर्पित करने के बदले तिथियुक्त प्राप्ति रसीद कार्यक्रम पदाधिकारी देना सुनिश्चित करेंगे । कार्यक्रम पदाधिकारी ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र पंचायत रोजगार सेवक को ग्राम सभा के विचारण के लिए समय-समय पर ग्राम सभा के पूर्व हस्तांतरण करेंगे । ऐसे आवेदन पत्रों पर ग्राम सभा विचार करके पूरक कार्य योजना / मुख्य कार्य योजना में शामिल करने का निर्णय लेगी ।

6. कार्य योजना / पूरक कार्य योजना में शामिल कार्यों को तदोपरांत मनरेगा की प्रक्रियानुसार कार्यान्वित कराया जाएगा ।

7. कार्यक्रम पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करें । साथ ही व्यापक अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे ताकि जिन आवेदकों ने आवेदन दिया है, उनका अनिवार्य रूप से ग्राम सभा में विचारण हो सके ।

8. कार्यक्रम पदाधिकारी निम्नलिखित प्रपत्र में एक रिपोर्ट मासिक समीक्षात्मक बैठकों में जिला स्तर पर समर्पित करेंगे । जिसके आधार पर जिला की समेकित रिपोर्ट उप विकास आयुक्त द्वारा विभाग को मासिक तौर पर अन्य प्रतिवेदनों के साथ भेजी जाएगी ।

मनरेगा के अंतर्गत निजी भूमि पर कार्य कराने संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों की विवरणी

क्र. सं.	प्रक्षेत्र का नाम	पिछले माह तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	इस माह प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	पंचायत को हस्तांतरित कुल आवेदन पत्रों की संख्या	ग्राम सभा में अनुमोदित आवेदन पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)

सचिव